कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

श्रीमति लीलादेवी पत्नि भागचन्द कुमावत निवासी मुशी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा।	बनाम	निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा, जिला भीलवाडा।
–अपीलार्थी		–प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या : 07 / 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.03.2026	पत्रावली अनुभाग से बाद जॉच पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने की बहस में निवेदन किया गया कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा ने आदेश दिनांक 20.02.2026 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थीया का नाम ग्राम कहारों का खेडा ग्राम पंचायत मुशी, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा की निर्वाचक नामावली में अभिलिखित किये जाने एवं राजस्व ग्राम अमरगढ हाल ग्राम पंचायत झांतल, तहसील बनेडा से विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया गया व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत नियम 23 दि रिजस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत प्रस्तुत की गयी। प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत नहीं की की गई। लिहाजा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत नियम 23 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत प्रस्तुत किये जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शूमार होकर दाखिल दफ्फर करे। (जसमीत सिंह संधू) जिला कलक्टर भीलवाड़ा	